कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/विविध/2018 दिनांकः 06.11.19

अति–आवश्यक

संयुक्त निदेशक,
(स्कूल शिक्षा) समस्त संभाग।

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक, समस्त जिले।

विषयः– विद्यालयों में दोहरे पदस्थान को दुरूस्त करने के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.02.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विद्यालयों में एक विषय/पद के विरूद्ध एक से अधिक कार्मिक माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश के क्रम में नियुक्ति अधिकारी की अनुमति के बिना सीधे ऑफलाईन कार्यग्रहण करने से दोहरे पदस्थापन की स्थितियां उत्पन्न होती है, जो माननीय न्यायालय द्वारा भी कतई अपेक्षित नहीं होती है। विभाग को ऑफलाईन कार्यग्रहण की सूचना समय पर नहीं मिलने के कारण न्यायालय में विभागीय प्रतिरक्षण की कार्यवाही भी समय पर सम्पादित नहीं हो पाती है। नियुक्ति अधिकारी द्वारा ऑफलाईन कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक की वेतन व्यवस्था कर दी जाती है जिसके फलस्वरूप एक ही पद के विरूद्ध दो कार्मिकों का वेतन भुगतान किया जाता है जिससे राजकोष का दुरूपयोग होता हैं, अतः दोहरे पदस्थापन की स्थिति में निम्नांकित बिन्दुओं की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें–

- विद्यालय में यदि न्यायिक स्थगन के कारण एक विषय के विरूद्ध दो कार्मिक कार्यरत है तो नियुक्ति अधिकारी न्यायिक स्थगन प्राप्त कार्मिक को न्यायालय निर्णय के अध्यधीन शाला दर्पण पर ऑनलाईन कार्यग्रहण करावे एवं दूसरे कार्मिक को अधिशेष मानकर न्यायालय निर्णय के अध्यधीन समायोजन की कार्यवाही करावे तथा स्थगन आदेश तत्काल वैकेट करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करावें।
- माननीय न्यायालय/अपील अधिकरण द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश के क्रम में नियुवित अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। इस सम्बन्ध में सभी संस्था प्रधानो को पाबन्द करावें।
- किसी भी कार्मिक को ऑफलाईन कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे और दोहरा पदस्थापन होने पर वेतन व्यवस्था की कार्यवाही नहीं की जावें, यदि वेतन व्यवस्था के आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो तो समायोजन की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के पश्चात ही वेतन व्यवस्था के आदेश जारी किये जावें।
- विद्यालय में यदि एक विषय के विरूद्ध दो कार्मिक कार्यरत है तथा कोई न्यायालयी प्रकरण नहीं है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार समायोजन की कार्यवाही करावें।
- विद्यालय में यदि व्याख्याता पद के विरूद्ध कोई वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है तो उस वरिष्ठ अध्यापक को व्याख्याता के कार्यग्रहण करने पर अधिशेष मानते हुवे समायोजन की कार्यवाही करावें।
- स्वीकृत विषय के विरूद्ध अन्य विषय का कार्मिक किसी भी स्थिति में पदस्थापित नहीं किया जावें, स्वीकृत विषय के विरूद्ध अन्य विषय का कार्मिक कार्यरत होने पर उसे अधिशेष मानते हुवे समायोजन की कार्यवाही करावें।
- विद्यालय में विषय विशेष का नामांकन शून्य होने पर कार्मिक को अधिशेष मानते हुवे उक्त विद्यालय से कार्यमुक्त कर समायोजन की कार्यवाही करावें।

उपर्युक्तानुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ समायोजन की कार्यवाही कर संभाग/जिले में एक पद के विरूद्ध एक से अधिक कार्मिक कार्यरत नहीं होने, विषय के विरूद्ध अन्य विषय के कार्मिक के कार्यरत नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रतिमाह प्रस्तुत करावें।

(नूतनबाला कपिला)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com